निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 150/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गोपाल पुत्र स्व॰ श्री जयराम जाति जाट निवासी ग्राम चिथवाडी, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर पीठासीन अधिकारी
2. गजानन्द मीणा पुत्र श्री धन्नाराम जाति मीणा, निवासी ग्राम चिथवाडी, तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. जगदीश पुत्र धन्ना
4. जितेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण
5. धापा पत्नी सुजा
6. नारायण लाल पुत्र कैलाश
7. मुकेश कुमार पुत्र कैलाश
8. मनीष कुमार पुत्र कैलाश
9. महेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण
10. महवीर पुत्र कैलाश
11. मौसमी पुत्री लक्ष्मीनारायण
12. श्रवण पुत्र कैलाश
13. संतोष पुत्र कैलाश
14. सागर पुत्र धन्ना

जाति मीणा, निवासी चिथवाडी, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 07/2019 ब उनवानी गजानन्द बनाम गोपाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री संतोष कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हीरालाल सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 14 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 15.11.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष प्रकरण संख्या 07/2019 ब उनवानी गजानन्द बनाम गोपाल व अन्य

जिला कलक्टर
जयपुर

विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र संक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चौमू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई किन्तु प्राप्त नही हुई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 14 की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल सैनी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 14 गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को मुगालते में रख कर प्रार्थी की खातेदारी मे से रास्ता प्राप्त करने एवं येन केन प्रकारेण प्रकरण को प्रार्थी के विरूद्व फैसल करवाने पर आमादा है। इसी कम के चलते उक्त पत्रावली को राजस्व कैम्प चिथवाडी दिनांक 08.10.2021 में रख दिया गया दिनांक 08.10.2021 को प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी पी सी का प्रस्तुत किया गया और उसी दिनांक को अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी पी सी का प्रस्तुत कर दिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं थी। दिनांक 08.10.2021 को सांय 7 बज कर 26 मिनट पर अधीनस्थ न्यायालय के रीडर के द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता के पास फोन आया और बताया गया कि उक्त पत्रावली में आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 पेश किया गया है जिसकी प्रति आप प्राप्त कर दिनांक 12.10.2021 को 5 बजे तक पेश कर दें। आपकी पत्रावली दिनांक 12.10.2021 को कैम्प कोर्ट फतेहपुरा में रखी गई है। पत्रावली को दिनांक 12.10.2021 से कैम्प कोर्ट विजयसिंहपुरा में दिनांक 22.10.2021 में रख दिया और कहा गया कि उक्त पत्रावली में से दिनांक 22.10.2021 को ही निस्तारित कर दूंगा। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी नियमित रूप से उक्त पत्रावली में कैम्प कोर्ट में भी छोटी छोटी तारीख पेशियां नियत कर पत्रावली को राजस्व कैम्पों में नियत की जा रही है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त प्रकरण को खिलाफ प्रार्थी फैसल करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 14 नियमित रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर प्रार्थी को अवगत करवाते है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 14 का रिश्तेदार चौमू तहसील परिसर में रीडर है तथा उक्त रिश्तेदार ने प्रार्थी को धमकी दी है कि रीडर के मार्फत अप्रार्थी संख्या 1से प्रार्थी के खिलाफ फैसला करवा कर रहूंगा और मेरे रिश्तेदार के मार्फत मेरी अधिकारी से सांठ गांठ हो गई है और उक्त प्रकरण में कैम्प कोर्ट में ही मेरे पक्ष में फैसला आयेगा। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण को न्यायिक विवेक एवं न्यायिक कार्यवाही के तहत निस्तारण करने के इच्छुक नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में निष्पक्ष एवं ईमानदारी से न्याय किये जाने की अपेक्षा नहीं रही है इससे भी प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी के न्यायपूर्ण निर्णय पर सन्देह कारित होता है। इसलिए भी प्रकारण को अन्यत्र किसी न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना नितान्त आवश्यक है। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को राजस्व कैम्प में निर्णय करने के उद्वेश्य से उक्त पत्रावली को हर कैम्प कोर्ट में पत्रावली नियत की जा रही है। इससे भी प्रार्थी को पूर्ण सन्देह हो गया है कि पीठासीन

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

अधिकारी पूर्ण रूप से अप्रार्थीगण के प्रभाव में है। इसलिए प्रार्थी को अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही है। अतः उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना नितान्त आवयश्क है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 ए रास्ते का प्रकरण विचाराधीन है जिसका अधिकतम 3 माह में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की नियत से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। फिर भी मान्य न्यायालय मुन्तकिल किया जाना आवश्यक समझे तो तारीख नियत कर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में प्रावधानानुसार शीघ्र निस्तारण किये जाने के निर्देश के साथ स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किय गया।

7. उपखण्ड अधिकारी चौमू से टिप्पणी तलब किये जाने पर किसी प्रकार की टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है और प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। विपक्षी अधिवक्ता भी प्रकरण को अन्यत्र मुन्तकिल किये जाने हेतु सहमत है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर व अप्रार्थी अधिवक्ता की सहमति के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 07/2019 ब उनवानी गजानन्द बनाम गोपाल व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में मुन्तकिल किया जाता है।

9. पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में सुनवाई हेतु दिनांक 30.11.2021 को उपस्थित हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर यथा सम्भव प्रकरण का दो माह में निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम व उपखण्ड अधिकारी चौमू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

15/11/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर